कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः– श्री अनिल संत ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :– **सर्वश्री विजय कुमार खण्डेलवाल एडवोकेट ,काली बाड़ी ,होली चौराहा , बरेली ।**

प्रा0प0सं0– **350/2008**

प्रार्थी की ओर से– **श्री रवि शंकर ,मैनेजर श्री डी0एम0 ट्रेडर्स,बरेली ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा–59 के अर्न्तगतनिर्णय

1– प्रार्थी के द्वारा दिनांक 21-08-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा–59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें निम्नलिखित प्रश्न पर कर की जानकारी चाही गयी है :–

"सोयाबीन सर्टिफाइड सीड जो निश्चित मानको के अनुसार सीड श्रेणी के अन्तर्गत आता है एवं जारी विज्ञप्ति संख्या– क0नि0-2-67 दिनांक 10-1-08 के शिडयूल–। में क्रमांक -34 पर उल्लिखित आल सीडस के अनुसार क्या करमुक्त है ?"

2– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री रवि शंकर , फर्म मैनेजर उपस्थित हुयें व उन्होनें उपरोक्त तथ्यों को दोहराया ।

3– मैनें व्यापारी के धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को का अवलोकन किया। वैट अधिनियम की अनुसुची–। के क्रमांक 34 पर निम्न प्रविष्टि अंकित है :–

34-	All seeds other than oilseed.

प्रार्थी का यह तर्क कि उक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत सभी प्रकार के सीडस करमुक्त होने चाहिए । प्रार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

वैट अधिनियम की अनुसुची–2 –भाग–ए के क्रमांक 88 पर Oil seeds. की प्रविष्टि अंकित है।केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा–14 के क्रमांक V1 में Oil seeds को वर्णित किया गया है तथा इसके अन्तर्गत क्रमांक 1V के अनुसार soyabean [GLYCINE Seja] Oil seeds है । जिस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

4– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक ::25 नवम्बर,2008 ह0/25-11-08

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।